

— प्रेस नोट —

## जनपद मीरजापुर ।

दिनांक- 03.07.2021

थाना चील्ह पुलिस द्वारा अवैध/अपमिश्रित शराब बनाने व बिक्री करने के अभियोग से सम्बन्धित

पांचवां अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चील्ह पुलिस द्वारा अवैध/अपमिश्रित शराब बनाने व बिक्री करने के अभियोग से सम्बन्धित पांचवें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । दिनांक 24.05.2021 को थाना चील्ह व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मुजेहरा खुर्द में छापेमारी कर खेत में बने ट्यूबेल के अन्दर चल रही अवैध/अपमिश्रित शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 45 पेटी नकली देशी शराब, केमिकल एवं नकली रैपर, पैकिंग मशीन, शराब बनाने के उपकरण सहित टाटा सफारी एवं 02 मोटरसाइकिलों को बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । अबतक कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । उक्त अभियोग की विवेचना एवं अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 03.07.2021 को उ0नि0 रामप्रताप यादव मय हमराह हे0का0 भानू प्रताप व का0 तिलकराज यादव द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर नरऊर बार्डर स्थित बाबा ढाबा के पास से पांचवे वांछित अभियुक्त विजय कुमार सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी मझलीपट्टी थाना चील्ह मीरजापुर को समय 08.10 बजे गिरफ्तार कर मा0न्यायाल/जेल भेजा गया ।

